न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 173/2024
(जीसीएमएस संख्या 2024/202)

निर्णय दिनांकः– 24-12-25

1. शांति पत्नी धर्मचंद जाति कुम्हार साकिन रेलवे क्रोसिंग, चौखुटी, बीकानेर।
2. प्रेमलता
3. कौशल्या
4. गणेश कुमार
5. पवन कुमार

पिसरान धर्मचंद पुत्र हरीराम जाति कुम्हार साकिन रेलवे क्रोसिंग, जय हिंद स्कुल चौखुटी, बीकानेर

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 27–09–2023
उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला

उपस्थितिः–

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के आदेश दिनांक 27–09–2023 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के पिता/पति द्वारा तहसील खाजूवाला में चक 4 पी.डब्ल्यु.एम. के मुरब्बा नम्बर 22/16 तादादी 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ सम्पूर्ण दस्तावेज संलग्न किय थे। अपीलांट के पिता/पति का देहान्त दिनांक 02–01–2022 को हो गया। जिस कारण बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। उक्त जैर अपील आदेश जारी करते वक्त अधीनस्थ न्यायालय ने इकतरफा तौर पर बिना अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किए यह कहते हुए कि आवेदक ने रिकार्ड, साक्ष्य सबुत जमा नही करवाये है और अदम हाजरी और बावजूद सुचना उपस्थित नही आने के कारण खारिज कर दिया जबकि नोटिस दिनाक 16.04.99 की पालना में अपीलान्ट के पिता ने साक्ष्य सबुत जमा करवा दिए और दिनाक 21.05.99 को आवटन कर दिया गया लेकिन चालान जारी ही नही किया गया लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इकतरफा तौर पर सीधा 27.09.2023 को पत्रावली पेशी मे दिखा कर आवेदन निरस्त कर दिया जबकि वर वक्त आवेदन उक्त रकबा अराजीराज था और गजट मे साया होने पर अपीलान्ट के पिता ने आवेदन किया था और आनन फानन मे बिना सुस्थापित प्रक्रिया के अपीलाधीन आदेश पारित किया है। वर वक्त आवेदन पिता ने धरोहर राशी जमा करवाकर आवेदन पेश किया था तथा निरन्तर आवटन हेतु प्रयासरत रहा और पत्रावली सवाम होकर स्थानान्तरण होकर खाजूवाला आ गई और आवटन होने के बाद तक चालान ही जारी नहीं किए गए जो जारी करने का अधिकार अधिनस्थ न्यायालय का था और पिता के फौत बाद देरी हुई जिसके लिए अपीलान्ट दौषी नहीं है पिता का आवेदन होने के कारण अपीलान्ट ने अन्य आवेदन भी नही किया और आज भी भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी के काश्तकार है और ना ही स्पीकिगं आदेश पारित किया ना ही धरोहर राशी लैटाने के आदेश किए गए। अपीलान्ट आज भी सदभावी काश्तकार है तथा भूमि आवटन करवाने के पात्र है।

चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पिता/पति को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट के पिता/पति का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 209 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

उन्होने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण के गुणावगुण पर न्यायालय का अभिमत है कि अपीलांट के पिता/पति धर्मचंद पुत्र हरीराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसील खाजूवाला के चक 4 पी.डब्ल्युय.एम. के मुरब्बा नम्बर 22/16 तादादी 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पिता/पति प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए उक्त मुरब्बा नम्बर 22/16 तादादी 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु सीलिंग सीमा की जांच करते हुए, उक्त भूमि बाबत अन्य कोई आवेदन लंबित नही होने की रिपोर्ट अंकित करते हुए पत्रावली को दिनांक 21–05–1999 को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत होने के आदेश प्रदान किये गये। तत्पश्चात दिनांक 21–05–1999 को अपीलांट के पिता/पति का आवेदन स्वीकार करते हुए उक्त मुरब्बा की राजपत्र में प्रकाशित कीमत 92181 में आवंटन किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे तथा उक्त कीमत की 35 प्रतिशत राशि यानि 32263 की कुल 3 किस्ते बनाते हुए रशि जमा करवाने हेतु लिखा गया था।

उक्त पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला स्थानान्तरित होने पर सीधे पेशी दिनांक 27–09–2023 को अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया कि प्रार्थी/अपीलांट बावजूद सूचना के अनुपस्थित/अतः अदम साक्ष्य सबूत अदम हाजरी में खारिज की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी किये

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गये नोटिस का अवलोकन किया गया। उक्त नोटिस पर किसी प्रकार की तामील की सुनिश्चितता के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई सूचना अथवा चालान प्राप्त हुआ हो। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2017 पेज 209 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसके अभिलिखित है कि:–

Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in IGNP Area) Rules, 1975 - R-23(2) Asstt. Commissioner alloted land and cost to be deposited by allottee- Allotment cancelled for non payment- Appellate Court rejected appeal of allottee - Revision before boar – Held - Land still vacant - Allottee could not deposit amount as no notice was received by him - In the interest of justice llotment regularized if allottee deposits cost with interest - Revision allowed on condition.

उक्त नजीर उक्त प्रकरण पुर्णतया सही चस्पा होती है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं नजीर के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का आवेदन खारिज ना हुआ हो, प्रश्नगत भूमि यदि आराजीराज हो, अन्य किसी प्रयोजनार्थ आरक्षित न हो तो अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24-12-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर